जनपद-संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 05.07.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता शहजाद पुत्र मो0 असलम निवासी बढ़या माफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, का0 सोनू कुमार यादव ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5998 द्वारा आटो व बाईक में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5998 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत निकट दुर्गा मंदिर के सामने से कालर द्वारा आटो व बाईक में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (शुभम पुत्र जयसिंह निवासी चाँदीडीह थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, 02 राजेश पुत्र परमहंस निवासी कसरवल थाना सहजनवाँ जनपद गोरखपुर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु एंबुलेंस की सहाय़ता से जिला अस्पताल खलीलाबाद भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

***पीआरवी स्टाफ-* का0 बबलू कुमार यादव, का0 अंगद यादव, हो0चा0 अनिल पाण्डेय ।**

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 21 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 218 वाहनों से 2,58,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 219 वाहनों से 3,12,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी के मामले में अभियुक्त को 05 वर्ष 01 माह 26 दिवस का साधारण कारावास व 6000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 05.07.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(एसडी)/एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को 05 वर्ष 01 माह 26 दिवस का साधारण कारावास तथा 6000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 170/2020 धारा 380/457/411 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता अहमद अली उर्फ गऊआ पुत्र खलीफुज्जमा निवासी लेडुआ महुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 380 भादवि में 04 वर्ष का साधारण कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 457 भादवि में 05 वर्ष 01 माह 26 दिवस का साधारण कारावास व 3000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 411 भादवि में 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास से भुगतना होगा।